"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 17 सितम्बर 2021—भाद्रपद 26, शक 1943

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सोहद्रा चन्द्राकर ध. प. श्री कुबेर सिंह चन्द्राकर, उम्र 35 वर्ष, जाति कुर्मी, निवासी-अचौद, तहसील गुण्डरदेही, जिला बालोद (छ. ग.) की हूँ. यह कि मेरा वास्तविक नाम सोहद्रा चन्द्राकर है जो कि मेरे सभी दस्तावेजों में दर्ज है, किन्तु मेरी पुत्री उदिता चन्द्राकर के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में द्रोपती चन्द्राकर दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है, जिसे परिवर्तित कर मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ.

अत: अब से मुझे सोहद्रा चन्द्राकर ध. प. श्री कुबेर सिंह चन्द्राकर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
द्रोपती चन्द्राकर पति-श्री कुबेर सिंह चन्द्राकर निवासी-अचौद, तहसील-गुण्डरदेही, जिला-बालोद (छ. ग.)	सोहद्रा चन्द्राकर पति-श्री कुबेर सिंह चन्द्राकर निवासी-अचौद, तहसील-गुण्डरदेही, जिला-बालोद (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, तान्या ठाकुर आत्मजा श्री लतखोर सिंह ठाकुर, उम्र 28 वर्ष, निवासी-मकान नं. 51, भरकापारा, धौंराभांठा, फेकारी, तहसील पाटन जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम टुम्भारिका था. मेरे मतदाता परिचय पत्र में मेरा नाम टुम्भारिका आत्मजा लतखोर सिंह ठाकुर दर्ज है किन्तु मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पेनकार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, निवास प्रमाण पत्र में टुम्भारिका आ. लतखोर सिंह दर्ज है. मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम तान्या ठाकुर आत्मजा श्री लतखोर सिंह ठाकुर रख ली हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ.

अतः अब से मुझे तान्या ठाकुर (Tanya Thakur) आत्मजा श्री लतखोर सिंह ठाकुर (Shri Latkhor Singh Thakur) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
टुम्भारिका (Tumbharika) पिता-श्री लतखोर सिंह (D/o- Shri Latkhor Singh) निवासी-मकान नं.-51, भरकापारा, धौंराभांठा, फेकारी, तहसील-पाटन जिला-दुर्ग (छ. ग.)	तान्या ठाकुर (Tanya Thakur) पिता-श्री लतखोर सिंह ठाकुर (D/o- Shri Latkhor Singh Thakur) निवासी-मकान नं.-51, भरकापारा, धौंराभांठा, फेकारी, तहसील-पाटन जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, विश्राम देवांगन आत्मज श्री चैतूराम देवांगन, उम्र 65 वर्ष, निवासी-बजरंग नगर, दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. यह कि मेरा वास्तविक नाम विश्राम देवांगन (Vishram Dewangan) है, किन्तु मेरे बच्चों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, मेरे आधार कार्ड में बिश्राम देवांगन (Bishram Dewangan) दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है, जिसे परिवर्तित कर मैं अपने वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ.

अतः अब से मुझे विश्राम देवांगन (Vishram Dewangan) आत्मज चैतूराम देवांगन (Chaitu Ram Dewangan) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
बिश्राम देवांगन (Bishram Dewangan) पिता- श्री चैतूराम देवांगन (S/o- Shri Chaitu Ram Dewangan) निवासी-बजरंग नगर, दुर्ग, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	विश्राम देवांगन (Vishram Dewangan) पिता- श्री चैतूराम देवांगन (S/o- Shri Chaitu Ram Dewangan) निवासी-बजरंग नगर, दुर्ग, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, गोविन्दन राजेश आत्मज श्री पी. टी. गोविन्दन, निवासी-सी-82, फेस-2, सूर्यविहार, जुनवानी, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. यह कि पूर्व में मेरी पुत्री का नाम एल. आर. श्राव्या था. मैंने अपनी पुत्री का नाम परिवर्तित कर नया नाम श्राव्या राजेश रख लिया हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ.

अत: अब से मेरी पुत्री को श्राव्या राजेश आत्मजा गोविन्दन राजेश के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
एल. आर. श्राव्या पिता-श्री गोविन्दन राजेश निवासी-सी-82, फेस-2, सूर्यविहार, जुनवानी, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	श्राव्या राजेश पिता-श्री गोविन्दन राजेश निवासी-सी-82, फेस-2, सूर्यविहार, जुनवानी, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, नारायण सिंह बघेल आत्मज श्री राम सिंह, उम्र 52 वर्ष, निवासी-म. नं. बी. 105, फेस 1, रामाग्रीन सिटी, खमतराई रोड, बिलासपुर, तहसील व जिला बिलासपुर (छ. ग.) का हूँ. यह कि पूर्व में मेरे पुत्र का नाम कान्हा बघेल था जो कि उसके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, पासपोर्ट व अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में दर्ज है. मैंने अपने पुत्र का नाम परिवर्तित कर नया नाम रेयांश सिंह बघेल रख लिया हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ.

अत: अब से मेरे पुत्र को रेयांश सिंह बघेल (Reyansh Singh Baghel) आत्मज नारायण सिंह बघेल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
कान्हा बघेल (Kanha Baghel) पिता-श्री नारायण सिंह बघेल निवासी-म. नं. बी.-105, फेस-1, रामाग्रीन सिटी, खमतराई रोड, बिलासपुर, तह. व जिला-बिलासपुर (छ. ग.)	रेयांश सिंह बघेल (Reyansh Singh Baghel) पिता-श्री नारायण सिंह बघेल निवासी-म. नं. बी.-105, फेस-1, रामाग्रीन सिटी, खमतराई रोड, बिलासपुर, तह. व जिला-बिलासपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, दिलेश्वरी यादव ध. प. श्री चन्द्रहास, उम्र 24 वर्ष, निवासी-ग्राम सोमनी, वार्ड क्रमांक 38, तहसील पाटन, जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम दिलटोरिया यादव था जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में दर्ज है. मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम दिलेश्वरी यादव रख ली हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ.

अत: अब से मुझे दिलेश्वरी यादव (Dileshwari Yadav) ध. प. श्री चन्द्रहास (Shri Chandrahas) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
दिलटोरिया यादव (Diltoriya Yadav) पति-श्री चन्द्रहास (W/o- Shri Chandrahas) निवासी-ग्राम-सोमनी, वार्ड क्रमांक-38, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग (छ. ग.)	दिलेश्वरी यादव (Dileshwari Yadav) पति-श्री चन्द्रहास (W/o- Shri Chandrahas) निवासी-ग्राम-सोमनी, वार्ड क्रमांक -38, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, तन्वी नन्दी ध. प. श्री निखिल नन्दी, उम्र 26 वर्ष, निवासी-11/ए, एस. पी. ए. सेक्टर-5 भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम सबिहा सिद्धिकी आत्मजा डॉ. जफर हुसैन सिद्धिकी था, जो कि मेरे जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पेनकार्ड, बैंक रिकार्ड व ड्रायविंग लायसेंस में दर्ज है. मेरा विवाह दिनांक 11-12-2020 को श्री निखिल नन्दी के साथ संपन्न हुआ, पर विवाह के समय मेरा नाम तनवी आर्या रख गया. विवाह पश्चात् मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम तन्वी नन्दी रख ली हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ.

अत: अब से मुझे तन्वी नन्दी (Tanvi Nandi) ध. प. श्री निखिल नन्दी (Shri Nikhil Nandi) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
सबिहा सिद्धिकी (Sabiha Siddiqui) तनवी आर्या पिता-डॉ. जफर हुसैन सिद्धिकी (D/o- Dr. Zafar Hussain Siddiqui) निवासी-मकान नं.-25/95, आदर्श स्कूल के पास, तुलसी कॉलोनी, मुरैना (म. प्र.)	तन्वी नन्दी (Tanvi Nandi) पति-श्री निखिल नन्दी (W/o- Shri Nikhil Nandi) निवासी-11/ए, एस. पी. ए., सेक्टर- 5 भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, एस. रोशनी ध. प. श्री एस. प्रसाद, उम्र 32 वर्ष, निवासी-शॉप नं. 46, ए-मार्केट, सेक्टर 6, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम इस्मत यास्मीन खान आत्मजा नबी उल्ला खान था जो कि मेरे जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पेनकार्ड, बैंक रिकार्ड, आधार कार्ड, एल. आई. सी. व ड्रायविंग लायसेंस में दर्ज है. मेरा विवाह दिनांक 22-01-2021 को श्री एस. प्रसाद के साथ संपन्न हुआ. पश्चात् मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम एस. रोशनी रख ली हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ.

अत: अब से मुझे एस. रोशनी (S. Roshni) ध. प. श्री एस. प्रसाद (Shri S. Prasad) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
इस्मत यास्मीन खान (Ismat Yasmin Khan) पिता- नबी उल्ला खान (D/o-Nabiulla Khan) निवासी-शॉप नं.-46, ए-मार्केट, सेक्टर-6, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	एस. रोशनी (S. Roshni) पति- श्री एस. प्रसाद (W/o-Shri S. Prasad) निवासी-शॉप नं.-46, ए-मार्केट, सेक्टर-6, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती मनीषा देसाई ध. प. श्री मनीष मोहन देसाई, उम्र 30 वर्ष, निवासी-एम.आई.जी.-डी 21, सेक्टर 1, देवेन्द्र नगर, रायपुर तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) की हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम कु. मीना निब्रड था जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व अन्य दस्तावेजों में दर्ज है. मेरा विवाह दिनांक 15-06-2020 को श्री मनीष मोहन देसाई के साथ संपन्न हुआ. पश्चात् मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती मनीषा देसाई रख ली हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ.

अत: अब से मुझे श्रीमती मनीषा देसाई ध. प. श्री मनीष मोहन देसाई के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
कु. मीना निब्रड पिता-श्री रमेश निब्रड निवासी-रामकुण्ड, रायपुर, तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)	श्रीमती मनीषा देसाई पति-श्री मनीष मोहन देसाई निवासी-एम.आई.जी.-डी 21, सेक्टर-1 देवेन्द्र नगर, रायपुर, तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, एकान्श आहूजा आत्मज श्री रविन्दर पाल आहूजा, उम्र 37 वर्ष, निवासी-म. नं.-16, बहादुर गंज मार्ग, कवर्धा, तहसील कवर्धा, जिला कबीरधाम (छ. ग.) का हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम एकता आहूजा था. मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम एकान्श आहूजा रख लिया हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ.

अत: अब से मुझे एकान्श आहूजा आत्मज श्री रविन्दर पाल आहूजा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
एकता आहूजा पिता-श्री रविन्दर पाल आहूजा निवासी-म. नं.-16, बहादुर गंज मार्ग, कवर्धा, तहसील-कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ. ग.)	एकान्श आहूजा पिता-श्री रविन्दर पाल आहूजा निवासी-म. नं.-16, बहादुर गंज मार्ग, कवर्धा, तहसील-कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, कृष्णा राम आत्मज श्री विश्राम साहू, उम्र 43 वर्ष, जाति तेली, निवासी-ग्राम व पोस्ट हनोद, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. यह कि मेरा वास्तविक नाम कृष्णाराम है. पूर्व में मेरे पुत्र का नाम पुकेश्वर प्रसाद साहू था जो कि उसके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में व मेरा नाम कृष्णा साहू दर्ज है. मैंने अपने पुत्र का नाम परिवर्तित कर नया नाम पुकेश्वर प्रसाद आ. कृष्णाराम रख लिया हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ.

अत: अब से मेरे पुत्र को पुकेश्वर प्रसाद आत्मज कृष्णाराम के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
पुकेश्वर प्रसाद साहू पिता-श्री कृष्णा साहू निवासी-ग्राम व पोस्ट-हनोद, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	पुकेश्वर प्रसाद पिता-श्री कृष्णाराम निवासी-ग्राम व पोस्ट-हनोद, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, प्रदीप सिंह लोधी, आत्मज श्री डी. पी. सिंह लोधी, उम्र 40 वर्ष निवासी–सोनल ट्रेडर्स सिरसा रोड, कोहका, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. यह कि मेरा वास्तविक नाम प्रदीप सिंह लोधी, पत्नि का श्रीमती अंजली सिंह लोधी व मेरा पुत्र का पूर्ण नाम राहुल सिंह लोधी है, किन्तु मेरे पुत्र के दाखिला पंजी व अंकसूची में उसका, मेरा व मेरी पत्नि का नाम राहुल सिंह आ. प्रदीप सिंह, अंजली सिंह दर्ज है जो कि अपूर्ण है व जिसे परिवर्तित कर हमारे पूर्ण वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ.

अत: अब से मेरे पुत्र को राहुल सिंह लोधी आत्मज प्रदीप सिंह लोधी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
राहुल सिंह पिता–श्री प्रदीप सिंह माता–अंजली सिंह निवासी–सोनल ट्रेडर्स, सिरसा रोड, कोहका, भिलाई, तह. व जिला–दुर्ग (छ. ग.)	राहुल सिंह लोधी पिता–श्री प्रदीप सिंह लोधी माता–श्रीमती अंजली सिंह लोधी निवासी–सोनल ट्रेडर्स, सिरसा रोड, कोहका, भिलाई, तह. व जिला–दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, प्रदीप सिंह लोधी, आत्मज श्री डी. पी. सिंह लोधी, उम्र 40 वर्ष निवासी–सोनल ट्रेडर्स सिरसा रोड, कोहका, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. यह कि मेरा वास्तविक नाम प्रदीप सिह लोधी, पत्नि का श्रीमती अंजली सिंह लोधी व पुत्री का पूर्ण नाम जानवी सिंह लोधी है, किन्तु मेरी पुत्री के दाखिला पंजी व अंकसूची में उसका, मेरा व मेरी पत्नि का नाम जानवी सिंह आ. प्रदीप सिंह, अंजली सिंह दर्ज है जिसे परिवर्तित कर हमारे वास्तविक पूर्ण नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ.

अत: अब से मेरी पुत्री को जानवी सिंह लोधी आत्मज प्रदीप सिंह लोधी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
जानवी सिंह पिता–श्री प्रदीप सिंह माता–अंजली सिंह निवासी–सोनल ट्रेडर्स, सिरसा रोड, कोहका, भिलाई, तह. व जिला–दुर्ग (छ. ग.)	जानवी सिंह लोधी पिता–श्री प्रदीप सिंह लोधी माता–श्रीमती अंजली सिंह लोधी निवासी–सोनल ट्रेडर्स, सिरसा रोड, कोहका, भिलाई, तह. व जिला–दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय पंजीयक सार्वजनिक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायपुर (छ. ग.)

रायपुर, दिनांक 18 अगस्त 2021

प्रकरण क्रमांक 202108111000190/ब-113 (1) वर्ष 2020-21

क्रमांक/125/अ.वि.अ./पं. सा. न्या./2021.— आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री चेतनदास तारवानी पिता स्व. श्री किरोडीमल तारवानी निवासी टिल्लू चौक, लाखेनगर रायपुर द्वारा "जे. के. चेरिटेबल ट्रस्ट" पता-तारवानी टावर, छत्तीसगढ़ कालेज के पास, सिविल लाईन रायपुर (छ. ग.) का छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 04 (2) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई सम्पत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किए है :-

अनुसूची
(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता व सम्पत्ति का विवरण)

1.	पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता	:-	"जे. के. चेरिटेबल ट्रस्ट" तारवानी टावर, छत्तीसगढ़ कालेज के पास, सिविल लाईन रायपुर (छ. ग.)
2.	चल संपत्ति	:-	निरंक
3.	अचल संपत्ति	:-	निरंक

यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त ट्रस्ट अथवा सम्पत्ति में अभिरूचि हो और ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना प्रकाशन की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियाँ प्रस्तुत करें और पेशी के दिन कार्यालय समय में स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से दिनांक 04-09-2021 को उपस्थित होवे. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किए गए आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

यह ईश्तहार आज दिनांक 18-08-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

प्रणव सिंह
पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

छत्तीसगढ़ काउंसिल आफ स्कूल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन

CHHATTISGARH COUNCIL OF SCHOOL AND PROFESSIONAL EDUCATION

लोरमी, जिला मुंगेली (छ. ग.) 495115

मुंगेली दिनांक 25 अप्रैल, 2021

फाइल संख्या-सीजीसीएसपी/नियम/प्रकाशन/अप्रैल/02.—एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ काउंसिल आफ स्कूल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन, लोरमी, जिला मुंगेली छ. ग. के द्वारा काउंसिल संचालन, सहायक नियम 2021 के संबंध में.

काउंसिल संचालन सहायक नियम 2021

01. संक्षिप्त नाम, एवं प्रारंभ :-

I. इस नियम का संक्षिप्त नाम "छत्तीसगढ़ काउंसिल आफ स्कूल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन, काउंसिल संचालन सहायक नियम 2021" है.

II. राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रवृत्त होगा.

02. काउंसिल के बैठक :-

I. यह कि काउंसिल की कार्यकारणी बैठक काउंसिल के प्रधान कार्यालय, पंजीकृत कार्यालय, अध्यक्ष/सचिव के निवास स्थान अथवा ऐसे स्थान पर बैठक हो सकेगी जिसे अध्यक्ष/सचिव निर्धारित करेंगे.

II. यह की काउंसिल की कार्यकारणी की वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य रूप से होगी.

III. यह कि काउंसिल के अध्यक्ष/सचिव कभी भी कार्यकारणी या अन्य सहायक समितियों की बैठक बुला सकेगी.

IV. यह कि काउंसिल की सम्माननीय सदस्य एवं संरक्षक सदस्यो के साथ बैठक काउंसिल के अध्यक्ष/सचिव आवश्यकता होने पर कर सकेंगे.

V. यह कि काउंसिल की सम्माननीय सदस्यों एवं संरक्षक सदस्यों एवं अन्य सदस्यों को काउंसिल की कार्यकारणी बैठक में शामिल होने का अधिकार नहीं होगा और ना ही कार्यकारणी बैठक में मत देने का अधिकार होगा. उक्त सदस्यों को केवल काउंसिल के कार्यक्रमों जैसे -वार्षिक उत्सव, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, महापुरूषों के जयंती कार्यक्रम एवं काउंसिल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अतिथि के रूप में शामिल किया जा सकेगा. साथ ही उनसे काउंसिल किसी विषय पर सलाह मशविरा ले सकेगा.

VI. यह कि प्रत्येक सामान्य बैठक की सूचना 07 दिवस पूर्व कार्यकारणी सदस्यों को लिखित/मौखिक दी जा सकेगी.

VII. यह कि आपात बैठक के लिए 02 दिवस पूर्ण सूचना दिया जा सकेगा.

VIII. यह कि काउंसिल की बैठक के लिए एक रजिस्टर रखा जावेगा जिसमें कार्यवाही विवरण को लिखा जावेगा.

03. काउंसिल के सम्माननीय संरक्षक एवं अन्य सदस्यों के संबंध में :-

I. यह कि काउंसिल के सम्माननीय, संरक्षक एवं अन्य सदस्य तथा पदाधिकारी काउंसिल के कार्यकारणी बैठक में शामिल नहीं होंगे ना ही मत देने का अधिकार होगा.

II. यह कि काउंसिल के सम्माननीय, संरक्षक एवं अन्य सदस्य तथा पदाधिकारियों को काउंसिल के संबंध में कोई भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा.

III. यह कि काउंसिल के सम्माननीय, संरक्षक एवं अन्य सदस्य को काउंसिल द्वारा वेतन, भत्ते या किसी प्रकार की सुविधा प्रदान नहीं की जावेगी.

IV. यह कि काउंसिल के सम्माननीय, संरक्षक एवं अन्य सदस्यों का कार्यकाल 03 वर्ष तक का होगा. जिसे काउंसिल द्वारा बढ़ाया जा सकेगा.

V. यह कि काउंसिल के सभी नीतिगत फैसले काउंसिल द्वारा ही लिये जायेंगे, कोई अन्य सदस्य या पदाधिकारी नहीं ले सकेंगे.

VI. काउंसिल के कोई भी पदाधिकारी अध्यक्ष/सचिव के अनुमोदन उपरांत ही कोई आदेश/निर्देश जारी कर सकेंगे.

04. काउंसिल के अध्यक्ष/सचिव के संबंध में :-

I. यह कि काउंसिल के कार्यकारणी सदस्य ही अध्यक्ष या सचिव पद पर मनोनित होंगे.

II. यह कि काउंसिल द्वारा बाहरी या अन्य पदाधिकारी को अध्यक्ष/सचिव पद पर मनोनित नहीं किया जायेगा.

05. काउंसिल की सहायक समितियां :-

यह कि काउंसिल सुविधा एवं कार्य विभाजन के आधार पर आवश्यकतानुसार कई समितियां गठित कर सकेगी, निम्नलिखित समितियां के संबंध में इस प्रकार प्रावधान होंगे :-

I. पाठ्यक्रम समिति
II. परीक्षा समिति
III. मान्यता समिति
IV. समकक्षता समिति
V. वित्त समिति
VI. विधिक समिति
VII. अन्य समितियां

06. समस्त सहायक समितियों की संरचना :-

I. काउंसिल का अध्यक्ष समस्त समिति का अध्यक्ष होगा.

II. काउंसिल का सचिव समस्त समिति का सचिव होगा.

III. कम से कम 03 और अधिकतम 05 सदस्य होंगे.

07. विधिक समिति की संरचना :-

I. यह कि काउंसिल का अध्यक्ष विधिक समिति का अध्यक्ष होगा.

II. यह कि काउंसिल का सचिव विधिक समिति का सचिव होगा.

III. यह कि काउंसिल का विधिक समिति के सदस्य रिटायर्ड जज या सिविल न्यायालय/उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता होंगे.

IV. सभी समितियों में विषय विशेषज्ञ को प्राथमिकता से सदस्यत के रूप में मनोनित किया जावेगा.

08. विधिक समिति के कार्य :-

I. यह कि काउंसिल द्वारा या काउंसिल विरूद्ध किसी भी न्यायालयीन प्रकरण के संबंध में सुझाव देना एवं उचित कार्यवाही करना.

II. यह कि काउंसिल द्वारा या काउंसिल विरूद्ध किसी प्रकरण में अध्यक्ष/सचिव के निर्देशानुसार उपस्थित होना एवं काउंसिल का पक्ष रखना.

III. यह कि काउंसिल द्वारा या काउंसिल विरूद्ध प्रकरण के लिए अधिवक्ता नियुक्त करने के लिए काउंसिल के अध्यक्ष/सचिव को प्रतिवेदन भेजना.

09. पाठ्यक्रम समितियों के कार्य :-

I. पाठ्यक्रम समिति काउंसिल में लागू किये जाने वाले पाठ्यक्रमों, सिलेबस, एवं पुस्तकों का चयन करेगी.

II. सिलेबस एवं पाठ्यपुस्तक तैयार करना.

10. परीक्षा समिति के कार्य :-

I. परीक्षा से संबंधित समस्त कार्य करना जो आवश्यक हो.

II. परीक्षा सामग्री तैयार करना या करवाना.

III. परीक्षार्थियों का चयन करना, परीक्षा आवेदन जारी करना एवं प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच करना, रोल नंबर, प्रवेश पत्र एवं समय सारणी जारी करना.

IV. परीक्षा शुल्क का निर्धारण करना.

V. पेपर सेटर, परीक्षक, पर्यवेक्षक, केंद्राध्यक्ष, जांच कर्ता एवं समस्त आवश्यक पदाधिकारियों का चयन कर निर्धारित अवधि तक के लिए मनोनित करना.

VI. समस्त परीक्षा कार्य के लिए मनोनित या नियुक्त कर्मचारियों के मानदेय, भत्ते का निर्धारण करना एवं राशि जारी करना.

VII. परीक्षा उपरांत उत्तरपुस्तिका की जांच करा कर परीक्षाफल, अंक पत्र, माइग्रेशन जारी करना.

VIII. परीक्षाकेंद्रों का निर्धारण करना.

11. मान्यता समिति के कार्य :-

I. मान्यता संबंधी समस्त कार्य करना.

II. नये स्कूल, अध्ययन केंद्र, खोलने के लिए अनुमति, मान्यता प्रदान करने के लिए अध्यक्ष/सचिव को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना.

III. मान्यता आवेदन पत्र एवं शर्त, मान्यता/अनुमति शुल्क का निर्धारण करना एवं प्राप्त आवेदनों पर संबंद्धता नियम 2020 के नियमानुसार प्रक्रिया करना.

12. समकक्षता समिति के कार्य :-

I. समकक्षता प्रदान करने संबंधी समस्त कार्य करना.

II. समकक्षता प्रदान करने संबंधी समस्त आवेदन पत्रों का नियमानुसार निराकरण करना.

III. समकक्षता आवेदन पत्रों का निरीक्षण कर अपना प्रतिवेदन अध्यक्ष/सचिव के समक्ष प्रस्तुत करना.

IV. समकक्षता के लिए नियम शर्त का निर्धारण करना.

13. वित्त समिति के कार्य :-

I. काउंसिल के लिए वित्तीय प्रबंध एवं प्रबंधन करना.

II. काउंसिल के वित्तीय लेखा जोखा रखना

III. काउंसिल के समस्त विभागों के लिए फंड का निर्धारण करना.

IV. काउंसिल के समस्त सेवाओं के लिए शुल्क का निर्धारण करना.

14. अन्य समिति के कार्य :-

I. काउंसिल द्वारा सौपे अन्य सभी कार्य करना.

II. काउंसिल के नियमों के अनुसार कार्य करना जो अध्यक्ष/सचिव द्वारा सौपे गये है.

III. यह कि समस्त समितियों को अपना प्रतिवेदन अध्यक्ष और सचिव को बैठक दिवस या दूसरे कार्य दिवस पर देना होगा.

15. समितियों के संबंध में अध्यक्ष/सचिव के विशेषाधिकार :-

I. किसी भी समिति के बिना बैठक या अनुमोदन या सुझाव के अध्यक्ष/सचिव स्वयं भी किसी विषय पर निर्णय ले सकेंगे.

II. समस्त समितियां केवल अध्यक्ष/सचिव को केवल सुझाव या मार्गदर्शन देने के लिए गठित की जायेगी. कभी भी कोई भी समिति अध्यक्ष/सचिव द्वारा भंग की जावेगी.

III. समस्त समितियों का कार्यकाल 03 वर्ष का होगा जिसे कम ज्यादा किया जा सकेगा.

IV. कोई समिति किसी विशेष उद्देश्य के लिए एवं निर्धारित समयावधि के लिए गठित किया जा सकेगा.

V. समितियों से प्राप्त अनुमोदन को मानने या नहीं मानने के लिए अध्यक्ष/सचिव स्वतंत्र होंगे.

VI. यह कि किसी भी समिति के बैठक में अध्यक्ष/सचिव के द्वारा स्वयं उपस्थित नहीं होने की अवस्था में अपने द्वारा नियुक्त या निज सचिव या उपसचिव द्वारा उपस्थिति के लिए भेजा जा सकेगा.

16. नियम बनाने की शक्ति :-

I. काउंसिल के अध्यक्ष/सचिव काउंसिल संचालन संबंधी सभी विषयों पर नियम बना सकेंगे.

II. काउंसिल के कार्यकारणी द्वारा किसी भी विषय पर बनाये नियम सर्वमान्य एवं लागू होंगे.

17. काउंसिल का फंड :-

I. यह कि काउंसिल स्ववित्तीय आधार पर संचालित संस्था है.

II. यह कि काउंसिल राज्य सरकार, क्रेंद सरकार, या स्थानीय निकाय से सहयोग की मांग कर सकते है.

III. काउंसिल से संबंद्ध सभी संस्थाओं से प्राप्त सहयोग राशि, दान शुल्क.

IV. काउंसिल में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं से प्राप्त दान एवं समस्त प्रकार के शुल्क.

V. काउंसिल से संबंद्ध सभी संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं से प्राप्त दान एवं समस्त प्रकार के शुल्क.

VI. सी. एस. आर. से प्राप्त राशि.

VII. अन्य व्यक्ति एवं संस्थाओं से प्राप्त सहयोग राशि, एवं दान.

18. बजट :-

I. यह कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष काउंसिल के अध्यक्ष/सचिव या कार्यकारणी द्वारा अनुमानित बजट तैयार किया जावेगा.

II. यह कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में किस किस मद से कितना संभावित राशि प्राप्त होगा जिसे कहां-कहां कैसे खर्च किया जावेगा अनुमानित विवरण तैयार किया जावेगा.

19. उक्त नियम की व्याख्या :-

यह कि उक्त नियम में बदलाव काउंसिल कभी भी बिना सुझाव के या पूर्व सूचना के कर सकेगी, जिसे सभी संबंधित व्यक्तियों को मानना होगा तथा उक्त नियम की उचित व्याख्या काउंसिल द्वारा की जावेगी जो अंतिम एवं सर्वमान्य होगा.

डी. पी. जोशी
सचिव.

कार्यालय-उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, धमतरी

संयुक्त कार्यालय भवन, कक्ष क्रमांक-25, कलेक्टोरेट के पास

धमतरी, दिनांक 31 दिसम्बर 2020

[छत्तीसगढ़ सहकारी संस्थाएँ अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपंध/परिसमापन/2020/934 .—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंध/परिसमापन/2015/37 धमतरी दिनांक 16-04-2015 के द्वारा प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्यादित, छुही, पंजीयन क्रमांक-405 का छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के धारा 69 के अंतर्गत श्री एस. जी. गोस्वामी, अंकेक्षण अधिकारी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन के कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं पीताम्बर ठाकुर, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, धमतरी छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26 अक्टूबर 2017 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां, जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्यादित, छुही, पंजीयन क्रमांक-405 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त करता हूं.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 31-12-2020 को जारी किया गया तथा यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

धमतरी, दिनांक 31 दिसम्बर 2020

[छत्तीसगढ़ सहकारी संस्थाएँ अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपंध/परिसमापन/2020/935 .—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंध/परिसमापन/2015/38 धमतरी दिनांक 16-04-2015 के द्वारा प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्यादित, मुड़पार, पंजीयन क्रमांक-406 का छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के धारा 69 के अंतर्गत श्री एस. जी. गोस्वामी, अंकेक्षण अधिकारी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन के कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं पीताम्बर ठाकुर, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, धमतरी छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26 अक्टूबर 2017 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां, जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्यादित, मुड़पार, पंजीयन क्रमांक-406 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त करता हूं.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 31-12-2020 को जारी किया गया तथा यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

धमतरी, दिनांक 31 मार्च 2021

[छत्तीसगढ़ सहकारी संस्थाएँ अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपंध/परिसमापन/2021/297 .—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंध/परिसमापन/2018/149 धमतरी दिनांक 31-01-2018 के द्वारा श्री बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, रत्नाबांधा, पंजीयन क्रमांक-168 का छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के धारा 69 के अंतर्गत श्री एस. के. कर, उप अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन के कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं पीताम्बर ठाकुर, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, धमतरी छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26 अक्टूबर 2017 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां, जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए श्री बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, रत्नाबांधा, पंजीयन क्रमांक-168 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त करता हूं.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 31-03-2021 को जारी किया गया तथा यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

धमतरी, दिनांक 31 मार्च 2021

[छत्तीसगढ़ सहकारी संस्थाएँ अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपंध/परिसमापन/2021/298 .—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंध/परिसमापन/2015/76 धमतरी दिनांक 16-04-2015 के द्वारा अंगिरा ऋषि श्रमिक सहकारी समिति मर्यादित, पण्डरवाही, पंजीयन क्रमांक-92 का छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के धारा 69 के अंतर्गत श्री एस. के. कर, उप अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन के कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं पीताम्बर ठाकुर, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, धमतरी छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26 अक्टूबर 2017 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां, जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए अंगिरा ऋषि श्रमिक सहकारी समिति मर्यादित, पण्डरवाही, पंजीयन क्रमांक-92 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त करता हूं.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 31-03-2021 को जारी किया गया तथा यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

धमतरी, दिनांक 31 मार्च 2021

[छत्तीसगढ़ सहकारी संस्थाएँ अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपंध/परिसमापन/2021/299 .—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंध/परिसमापन/2015/65 धमतरी दिनांक 16-04-2015 के द्वारा भारत कृषि बीज विकास सहकारी समिति मर्यादित, धमतरी, पंजीयन क्रमांक-218 का छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के धारा 69 के अंतर्गत श्रीमती संगीता सिन्हा, सहकारिता विस्तार अधिकारी, धमतरी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन के कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं पीताम्बर ठाकुर, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, धमतरी छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26 अक्टूबर 2017 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां, जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए भारत कृषि बीज विकास सहकारी समिति मर्यादित, धमतरी, पंजीयन क्रमांक-218 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त करता हूं.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 31-03-2021 को जारी किया गया तथा यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

धमतरी, दिनांक 31 मार्च 2021

[छत्तीसगढ़ सहकारी संस्थाएँ अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपंध/परिसमापन/2021/300 .—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंध/परिसमापन/2015/82 धमतरी दिनांक 16-04-2015 के द्वारा जिला वस्त्र क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्यादित, धमतरी, पंजीयन क्रमांक-61 का छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के धारा 69 के अंतर्गत श्रीमती संगीता सिन्हा, सहकारिता विस्तार अधिकारी, धमतरी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन के कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं पीताम्बर ठाकुर, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, धमतरी छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26 अक्टूबर 2017 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां, जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए जिला वस्त्र क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्यादित, धमतरी, पंजीयन क्रमांक-61 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त करता हूं.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 31-03-2021 को जारी किया गया तथा यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

धमतरी, दिनांक 31 मार्च 2021

[छत्तीसगढ़ सहकारी संस्थाएँ अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपंध/परिसमापन/2021/301 .—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंध/परिसमापन/2015/52 धमतरी दिनांक 16-04-2015 के द्वारा प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, नगरी, पंजीयन क्रमांक-59 का छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के धारा 69 के अंतर्गत श्री राकेश कुमार चाण्डक, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन के कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं पीताम्बर ठाकुर, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, धमतरी छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26 अक्टूबर 2017 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां, जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, नगरी, पंजीयन क्रमांक-59 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त करता हूं.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 31-03-2021 को जारी किया गया तथा यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

धमतरी, दिनांक 31 मार्च 2021

[छत्तीसगढ़ सहकारी संस्थाएँ अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपंध/परिसमापन/2021/302 .—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंध/परिसमापन/2015/56 धमतरी दिनांक 16-04-2015 के द्वारा प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, फरसिंया, पंजीयन क्रमांक-58 का छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के धारा 69 के अंतर्गत श्री राकेश कुमार चाण्डक, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन के कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं पीताम्बर ठाकुर, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, धमतरी छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26 अक्टूबर 2017 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां, जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, फरसिंया, पंजीयन क्रमांक-58 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त करता हूं.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 31-03-2021 को जारी किया गया तथा यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

धमतरी, दिनांक 31 मार्च 2021

[छत्तीसगढ़ सहकारी संस्थाएँ अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपंध/परिसमापन/2021/303 .—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंध/परिसमापन/2015/54 धमतरी दिनांक 16-04-2015 के द्वारा प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, सांकरा, पंजीयन क्रमांक-76 का छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के धारा 69 के अंतर्गत श्री एस. के. कर , उप अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन के कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं पीताम्बर ठाकुर, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, धमतरी छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26 अक्टूबर 2017 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां, जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, सांकरा, पंजीयन क्रमांक-76 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त करता हूं.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 31-03-2021 को जारी किया गया तथा यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

धमतरी, दिनांक 31 मार्च 2021

[छत्तीसगढ़ सहकारी संस्थाएँ अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपंध/परिसमापन/2021/304 .—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंध/परिसमापन/2015/53 धमतरी दिनांक 16-04-2015 के द्वारा प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, अमाली, पंजीयन क्रमांक-74 का छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के धारा 69 के अंतर्गत श्री एस. के. कर , उप अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन के कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं पीताम्बर ठाकुर, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, धमतरी छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26 अक्टूबर 2017 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां, जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, अमाली, पंजीयन क्रमांक-74 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त करता हूं.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 31-03-2021 को जारी किया गया तथा यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

धमतरी, दिनांक 31 मार्च 2021

[छत्तीसगढ़ सहकारी संस्थाएँ अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपंध/परिसमापन/2021/305 .—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंध/परिसमापन/2015/72 धमतरी दिनांक 16-04-2015 के द्वारा सप्त ऋषि हमाल श्रमिक सहकारी समिति मर्यादित, नगरी, पंजीयन क्रमांक-119 का छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के धारा 69 के अंतर्गत श्री एस. के. कर , उप अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन के कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं पीताम्बर ठाकुर, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, धमतरी छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26 अक्टूबर 2017 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां, जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए सप्त ऋषि हमाल श्रमिक सहकारी समिति मर्यादित, नगरी, पंजीयन क्रमांक-119 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त करता हूं.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 31-03-2021 को जारी किया गया तथा यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

पीताम्बर ठाकुर
उप पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2021.